<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला–बालीघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रकरण.क.–183 / 2011</u> संस्थित दिनांक–31.03.2011

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-13/03/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—21.01.2011 को समय प्रातः 07:45 बजे सिंघबाद रोड आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.50 / एम.डी.—7863 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत शिवप्रसाद को साधारण उपहित कारित की तथा मृतक धर्मेन्द्र कठौते की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरोपी ने दिनांक—21.01.2011 को समय प्रातः 07:45 बजे सिंघबाद रोड आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत वाहन मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.50/एम.डी.—7863 को लोकमार्ग पर तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये वाहन को स्लिप करके गिरा दिया, जिससे वाहन में बैठे धर्मेन्द्र कठौते की मृत्यु हो गई तथा आहत शिवप्रसाद को साधारण चोट आई। अस्पताल चौकी बालाघाट के द्वारा मृतक धर्मेन्द्र कठौते की मर्ग की कार्यवाही के उपरांत पुलिस थाना बैहर के द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक—16/2011, धारा—279, 337, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध

पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतक धर्मेन्द्र कठौते की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेश्न क्रमांक—06/11 तैयार कर, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।
- 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
 - 1— क्या आरोपी ने दिनांक—21.01.2011 को समय प्रातः 07:45 बजे सिंघबाद रोड आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी.50 / एम. डी.—7863 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत शिवप्रसाद को साधारण उपहति कारित की ?
 - 3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक धर्मेन्द्र कठौते की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5-

आहत शिवप्रसाद (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि

वह आरोपी राजेश यादव को जानता है। आरोपी राजेश यादव उसका दोस्त एवं रिश्तेदार है। घटना वर्ष 2011 की रात्रि लगभग 8:00 बजे की है। घटना दिनांक को सिंघबाघ से वह आरोपी के साथ मोटरसाईकिल में बैठकर घर आ रहा था। मोटरसाईकिल में मृतक धर्मेन्द्र भी बैठा हुआ था। मोटरसाईकिल आरोपी राजेश चला रहा था, जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल हर्रानाला के पास पहुंची तो आरोपी ने तेज गति से चलाकर ईंटे पर चढ़ा दिया, जिससे मोटरसाईकिल गिर गई और उसे आंख के उपर ओठ पर तथा दाहिने कान के नीचे आंख के पास चोट आई थी एवं धर्मेन्द्र की मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना अरोपी की गलती से हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर एवं बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने आरोपी राजेश से मोटरसाईकिल जप्त की थी, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था या नहीं उसे आज ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय सिंघबाद से वापस आते समय मृतक धर्मेन्द्र गाड़ी चला रहा था और राजेश पीछे बैठा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक धर्मेन्द्र मोटरसाइकिल को तेज गति से चला रहा था और उक्त दुर्घटना में राजेश की कोई गलती नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी और उसके मोटरसाइकिल में पीछे बैठे होने के संबंध में पुलिस को सूचना दी थी। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं घटना में आहत एवं महत्वपूर्ण साक्षी होते हुए भी आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल का चालन न किये जाने तथा स्वयं मृतक के द्वारा वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने के कथन करते हुए अभियोजन मामले से विपरीत कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले व उसके मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं।

7— निर्मला बाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतक धर्मेन्द्र उसका पुत्र था। घटना लगभग तीन माह पूर्व की है। आरोपी उसके पुत्र धमेन्द्र का साला है। घटना दिनांक को धर्मेन्द्र काम करने के बाद घर वापस आने पर उसे

राजेश यादव व शिवप्रसाद यादव ने घुमने चलने के लिए मोटरसाईकिल से ले गए। उसके बाद करीब 7:00 बजे खबर मिली कि उनका मोटरसाईकिल से एक्सीडेन्ट हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद उसे बालाघाट अस्पताल लेकर गए तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के समय आरोपी राजेश मोटरसाईकिल चला रहा था। उक्त घटना सिंघबाद रोड़ की है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये हैं कि उसने आरोपी को मोटरसाईकिल चलाते हुए नहीं देखा था। एक्सीडेन्ट कैसे हुआ इसकी उसे जानकारी नहीं है।

- 8— रानूबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी उसका भाई है और मृतक उसका पित है। घटना 21 जनवरी 2011 की है। उसके पित धर्मेन्द्र का एक्सीडेन्ट हो गया, ऐसा उसे घर पर बताया गया, तब उसे घटना की जानकारी हुई थी। घटना के संबंध में उसकी भाभी कमलीबाई ने बताया था, तो वह अस्पताल में अपने पित को देखने गई थी, तो उसके पित धर्मेन्द्र की नाक से खून बह रहा था। उस समय वह इतनी दुखी थी कि चोटों के संबंध में देख नहीं पाई थी। उसके पित धर्मेन्द्र का एक्सीडेन्ट मोटरसाईकिल से हो गया था। उस मोटरसाईकिल को कौन चला रहा था, इस संबंध में उसे पता नहीं लग पाया। उसके पित को बैहर अस्पताल से बालाघाट अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर ईलाज के दौरान उसके पित की मृत्यु हो गई थी। घटना कहां पर और केंसे घटित हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसका पित सिंघबाद से कंपाउण्डर टोला मोटरसाईकिल से आ रहा था। उक्त मोटरसाईकिल पर कौन—कौन सवार था, उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये हैं कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की और न ही कोई बयान लिये थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 9— अख्तर अफरोज खान (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राजेश यादव को जानता है। वह धर्मेन्द्र और शिवप्रसाद को भी जानता है। घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व शाम 7:00—7:30 बजे उसके घर के सामने कंपाउण्डरटोला की है। उसे घर से फोन आया कि तीन लोग मोटरसाईकिल से गिर गए हैं, जिसके बाद वह घर गया था। पुलिस वाले आहतगण को लेकर अस्पताल आ

गए थे। फिर उसे दूसरे दिन पता चला कि एक आहत खत्म हो गया था और शेष आहतगण बालाघाट में भर्ती हैं। मोटरसाईकिल स्पलेण्डर थी, जिसका मॉस्क टूटा हुआ था, जो घटनास्थल पर उसके घर के सामने पड़ी हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मोटरसाइकिल कौन चला रहा था तथा किसकी गलती से दुर्घटना हुई, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

- 10— वाहिद खान (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह मृतक को भी नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- चेतनसिंह सैयाम (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राजेश का पहचानता है। चमरूलाल उसका मित्र है। उसने वर्ष 2010 में चमरूलाल यादव को उसकी मोटरसाईकिल खरीदने के उपरान्त उसके नाम से वर्षा ऑटोमोबाईल बैहर से मोटरसाईकिल खरीदकर चमरूलाल को दे दी थी, जो उक्त घटना दिनांक को चमरूलाल के पास ही थी। उसे चमरूलाल ने बताया था कि मोटरसाईकिल से दुर्घटना हो गई है। चमरूलाल ने उक्त मोटरसाईकिल राजेश यादव को चलाने के लिए दिया था, जिससे दुर्घटना हो गई है। उक्त दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये हैं कि उसने आरोपी राजेश यादव को मोटरसाईकिल नहीं बेचा था। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के समय मोटरसाईकिल कौन चला रहा था एवं कैसे दुर्घटना हो गई, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 12— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—21.01.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम के 08:45 बजे तीन लोग राजेश, धर्मेन्द्र और

शिवप्रसाद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में भर्ती किया गया था। उन्हें भर्ती करने वाले के अनुसार उक्त लोगों को रोड एक्सीडेन्ट में चोट आना बताया गया था। सभी आहतगण गंभीर थे। आहतगण की भर्ती की सूचना थाना प्रभारी बैहर को प्रदर्श पी—3 के माध्यम से दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही थाना बैहर के आरक्षक झामसिंह कमांक—80 द्वारा आहत धर्मेन्द्र की चोट का परीक्षण हेतु पेश करने पर परीक्षण पर उसने आहत की कंटुजन विथ एब्रेजन जो 1.5 गुणा 1 इंच लिये, तिरछापन लिये, लालिमा लिये, जिसके मध्य भाग में खरोंच पाया था। उक्त चोट चेहरे पर दाहिने तरफ पाया था एवं एब्रेजन 1 गुणा आधा इंच लिये जो कि सिर के तरफ फन्टो पैराइटल था। साक्षी ने घटना के समय आरोपी, आहत शिवप्रसाद व मृतक धर्मेन्द्र को चोट आने की पुष्टि की है।

- डॉ. निलय जैन (अ.सा.9) वह दिनांक—22.01.11 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक अनिल कमांक—710 के द्वारा धर्मेन्द्र पिता रामप्रसाद उम्र—28 वर्ष, निवासी कंपाउण्डरटोला बैहर का शव सुबह 10:45 बजे शव विच्छेदन हेतु लाया गया। उक्त शव को धीरजलाल पिता डोमनलाल, रमन पिता चुन्नूलाल के द्वारा पहचाना गया था। उक्त दिनांक को सुबह 11:00 बजे उसके द्वारा पहली बार शव को देखा गया था एवं शव परीक्षण किया गया। साक्षी ने मृतक धर्मेन्द्र के शव परीक्षण में उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगो को चोट कारित होने से मृत्यु होने का अभिमत दिया है।
- 14— अनुसंधान अधिकारी रिव मिश्रा (अ.सा.८) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—03.02.2011 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मर्ग कमांक—06/11 की जांच की गई, जांच पर उसने आरोपी राजेश यादव के विरूद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5, जिसका अपराध कमांक—16/11, धारा—279, 337, 304ए लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान दिनांक—28.02.2011 को घटना स्थल का नजरी नक्शा अख्तर खान की निशानदेही पर प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही शिवप्रसाद, रानूबाई, निर्मलाबाई, अख्तर खान, ताहिल खान, चमरूलाल व कौशल्याबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था।

दिनांक—01.03.2011 को आरोपी राजेश यादव से साक्षियों के समक्ष एक हीरो होण्डा मोटरसाइकिल बिना नम्बर की जिसका चैचिस नम्बर एम.बी.एल.एच.ए.10ए.बी.एच.एल. 00215 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—04.03.2011 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

15— दुर्गाप्रसाद हरिनखेड़े (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक—22.01.2011 को पुलिस अस्पताल चौकी बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे प्रदर्श पी—9 की अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन कमांक—0/2011, धारा—174 द.प्र.सं. प्रदर्श पी—10 मृतक धर्मेन्द्र की वाहन से दुर्घटना होने से मृत्यु होना बाबत् लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक धर्मेन्द्र की मृत्यु बाबत् नक्शा पंचायत नामा की कार्यवाही प्रदर्श पी—11 पंचो के समक्ष की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक के शव को पोस्टमार्डम हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट मय प्रतिवेदन के भेजा गया था। उक्त पोस्टमार्डम आवेदन प्रदर्श पी—12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

16— प्रकरण में दुर्गाप्रसाद अ.सा.10 के द्वारा मृतक धर्मेन्द्र के शव का मर्ग इंटीमेशन, पंचनामा, शव परीक्षण कराए जाने की कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। चिकित्सकगण डॉ. निलय जैन अ.सा.9 व डॉ एन.एस. कुमरे अ.सा.7 ने मृतक धर्मेन्द्र की दुर्घटना के कारण मृत्यु पूर्व चोट कारित होने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी रिव मिश्रा अ.सा.8 ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि मामले में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी व स्वयं आहत शिवप्रसाद अ.सा.5 ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन से गिर जाने के कारण उसे साधारण चोट आना और धर्मेन्द्र की मृत्यु कारित होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त वाहन को आरोपी राजेश के द्वारा चालन किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है, बल्क इस साक्षी के अनुसार स्वयं मृतक धर्मेन्द्र के द्वारा घटना के समय उक्त वाहन चालन कर दुर्घटना कारित किया जाना प्रकट किया गया है। इस

प्रकार उक्त साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन न करते हुए बचाव पक्ष का ही समर्थन किया है।

17— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने आरोपी राजेश के द्वारा घटना के समय कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल को चालन किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा उक्त वाहन चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित न होने से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया या उक्त कारण से आहत शिवप्रसाद को साधारण चोट व मृतक धर्मेन्द्र की मृत्यु कारित हुई। इस प्रकार अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को गिरा कर आहत शिवप्रसाद को साधारण उपहित तथा मृतक धर्मेन्द्र कठौते की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.डी. 7863 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार चेतनसिंह वल्द नारायण सिंह निवासी कोरजा, बैहर जिला बालाघाट को तथा जप्तशुदा ड्राईविंग लायसेंस सुपुर्ददार राजेश वल्द धीरजलाल यादव निवासी बैहर जिला बालाघाट को प्रदान किया गया है, जो अपील अविध पश्चात् उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट